



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. प्रीति सागर

Prof. Priti Sagar

अध्यक्ष, हिंदी साहित्य विभाग

Head, Deptt. of Hindi Literature



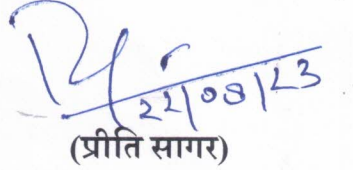
पत्रांक 016/हिं.सा.वि./2023 / 1847

दिनांक : 22.08.2023

सूचना

कार्यालयादेश पत्रांक 016/हिं.सा.वि./2023/606, दिनांक 25.03.2023 एवं पत्रांक 016/हिं.सा.वि./2023/628, दिनांक 03.04.2023 के द्वारा एम.ए. हिंदी साहित्य (सत्र 2021-23) चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के परियोजना कार्य के मार्गदर्शन हेतु अध्यापकों को नामित किया गया था। विद्यार्थियों को परियोजना कार्य पूर्ण करके विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 31/08/2023 निर्धारित की जाती है।

अतः सभी संबंधित विद्यार्थी अपना परियोजना कार्य अपने मार्गदर्शक से अग्रेषित एवं संस्तुत कराकर विभाग में दिनांक 31/08/2023 तक अवश्य जमा कर दें।


(प्रीति सागर)

संलग्न :

1. दिनांक 25.03.2023 एवं दिनांक 03.04.2023 को निर्गत कार्यालयादेश

प्रतिलिपि : (ई मेल द्वारा)

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध के साथ)
4. अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ
5. सभी संबंधित
6. संबंधित पत्रावली

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

फोन नं. 07152-232974, मो. 08055290238

ई-मेल : hldeptt22@gmail.com वेबसाइट : www.hindivishwa.org